न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 241 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 339

दायर दिनांक :– 07.10.2024 निर्णय दिनांक :– 17.10.2025

1. करनाराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. गोपाराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. दमाराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. पालू पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. बगडूराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. भंवरी पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
7. भरमती पुत्री धीमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
8. मनोहरराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
9. मीरा पत्नि धीमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी
10. रामरखराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पदमेतनगर, राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी

प्रार्थीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हक्टैयर व अन्य खसरान की भूमि सरहद मौजा राणेरी तहसील बाप में स्थित है। वर्तमान में ग्राम राणेरी में से पदमेतनगर नवीन राजस्व ग्राम सृजित हो जाने से उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम पमेतनगर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष मंगला, रूपा पि. मोती कौम विश्नोई सा. खारा के नाम से वक्त सेंटलमेंट में पैमाईश हुई थी और प्रार्थीगण के पूर्वजों ने उक्त खसरान की बीगूडी (लगान) भी अदा की थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का उनके जीवन काल तक कब्जा व काश्त रहा, उनके फौत होने के बाद कब्जा व काश्त उनके वारिसान प्रार्थीगण का आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है मौके पर प्रार्थीगण की उनके पूर्व पुरूष मंगला, रूपा पि. मोती के जीवन काल की बहुत ही पुरानी रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके बने हुवे है जिसमें प्रार्थीगण आज दिन तक बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हक्टैयर व अन्य खसरान की भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज करदी गई थी लेकिन खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हक्टैयर भूमि की वक्त सेटलमेंट में मोमीट्रेस नक्शा में प्रार्थीगण के पूर्वजों के कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम होने से छूट गई थी जो आज दिन तक बदस्तूर चली आ रही है जो एक मात्र लिपिकीय त्रुटि है जिसको दुरूस्त किया जा सकता है। प्रार्थीगण का मौके पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरान की तरमीम वर्तमान भू-नक्शा में नहीं होने से प्रार्थीगण को भंयकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण ग्राम पदमेतनगर तहसील बाप के खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हक्टैयर भूमि की तरमीम नक्शा लट्ठा में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र संलग्न है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना व समझा जावें।

13/10/25

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम पदमेतनगर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हैक्टेयर भूमि की तरमीम नक्शा लट्ठा में पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम पदमेतनगर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हैक्टेयर भूमि की तरमीम नक्शा लट्ठा में नहीं हो रखी है। मौके पर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिसे कब्जा काश्त एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम पटवारी हल्का राणेरी व भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पदमेतनगर पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 747/931 रकबा 18.9635 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/929 रकबा 3.0432 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 754/930 रकबा 4.0954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 652/928 रकबा 5.6089 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पटवारी हल्का राणेरी एवं भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)